निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 111/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

सेन्ट बैंक होम फाईनेन्स लि॰ जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय सस्था

बनाम

1. श्री नियाज अहमद पुत्र श्री कल्लू शाह
   निवासी 134, गुलजार मस्जिद के सामने, संजय नगर–डी, जोशी मार्ग, झोटवाडा, जयपुर एवं फ्लैट नम्बर एफ–204 फस्ट फ्लोर "शुभ रेजीडेन्सी" प्लॉट नं॰सी–13, मंगलम सिटी हाथोज कालवाड रोड, जयपुर ।
2. श्रीमती आसमा बानो पत्नी श्री नियाज अहमद
   निवासी 134, गुलजार मस्जिद के सामने, संजय नगर–डी, जोशी मार्ग, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री अर्जुन सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक: 17.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थ ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती आसमा बानो पत्नी श्री नियाज अहमद के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एफ–204 फस्ट फ्लोर "शुभ रेजीडेन्सी" स्थित प्लॉट नं॰सी–13, मंगलम सिटी हाथोज कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 750 वर्गफिट को बन्धक कर राशि 14,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.05.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुये ।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 14,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 14,18,953/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.05.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती आसमा बानो पत्नी श्री नियाज अहमद के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एफ–204 फस्ट फ्लोर "शुभ रेजीडेन्सी" स्थित प्लॉट नं॰ सी–13, मंगलम सिटी, हाथोज कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 750 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/8/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर